फा.सं.7/61/2017-ले.क्र.

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

94,संसद भवन, नई दिल्ली-110001

तारीख: 03.04.2023

नीलामी सूचना

विषय: फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर, एलईडी और तिपहिया स्कूटरों आदि जैसे पुराने और अनुपयोज्य ई-अपशिष्ट का निपटान।

संलग्न सूची के अनुसार 'जैसा है जहां है' के आधार पर फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर, और तिपहियां स्कूटरों आदि जैसे पुराने और अनुपयोज्य ई-अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रतिष्ठित फर्मों से एकल बोली प्रणाली में नए कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं।

2. निविदा संबंधी दस्तावेज जैम पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली केवल जैम के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में 1000/- रुपये (एक हजार रुपये केवल) की एकल बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक के रूप में अन्य संगत दस्तावेजों (पैन कार्ड की कॉपी, फर्म का जीएसटी पंजीकरण, पते का साक्ष्य) के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। नकद के रूप में बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोली दिनांक 14.04.2023 को अपराहन 4:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त होने वाली बोलियों को दिनांक 14.04.2023 को अपराहन 4:00 बजे या समय विस्तार के मामले में बोली प्रस्तुत करने का समय समाप्त होने के तीस मिनट बाद खोला जाएगा।

3. इस टेंडर के माध्यम से विक्रय को निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार शासित किया जाएगा:-

क. इच्छुक पक्षकार जैम पर एकल लॉट में ई-अपशिष्ट के लिए 18 प्रतिशत की दर पर जीएसटी सहित अपनी उच्चतम बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. प्रत्येक बोलीदाता के लिए संगत नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ई-अपशिष्ट रिसायकलर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ग. ई-अपशिष्ट का निस्तारण कड़ाई के साथ 'जैसा है जहां है' के आधार पर होगा और इस मंत्रालय द्वारा उनकी उपयोगिता या गुणवत्ता की कोई गारंटी या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। निस्तारित किए जा रहे दोनों तिपहियां पंद्रह साल से ज्यादा पुराने हैं और इनका निस्तारण कबाड़ या ई-अपशिष्ट के रूप में रिसाइकलिंग के लिए किया जा रहा है।

घ. यदि इस मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता/सफल बोलीदाता निर्धारित समय-सीमा के भीतर विक्रय मूल्य जमा करने में विफल रहता है तो उसकी बयाना

राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यदि किसी निविदाकार द्वारा प्रस्ताव को वापस लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि भी ज़ब्त कर ली जाएगी।

ङ. सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के लिए संविदा मिलने के तीन कार्य दिवस के भीतर वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिक्री की कुल राशि जमा करनी अपेक्षित होगी।

च. सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) की बयाना राशि बिक्री प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन के बाद ही जारी की जाएगी। विहित समय सीमा के भीतर बोली का सम्मान करने में असफल रहने वाले बोलीदाताओं की बयाना राशि ज़ब्त हो जाएगी। इस संबंध में इस मंत्रालय द्वारा किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। बयाना राशि को बिक्री की राशि में समायोजित नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) की बयाना राशि बिक्री प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन के बाद ही जारी की जाएगी।

छ. सफल बोलीदाता की आवासीय स्थिति (व्यक्ति के मामले में राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र और फर्मों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र, ई-अपशिष्ट रिसाइकलर प्रमाणपत्र सहित) के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात ही विक्रय किए गए ई-अपशिष्ट की सुपुर्दगी की व्यवस्था की जाएगी।

ज. विक्रय किए गए ई-अपशिष्ट को सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा राशि जमा करने के 48 घंटो के भीतर अपने खर्च पर हटा लिया जाएगा। इस मंत्रालय द्वारा कोई सहायता/परिवहन की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस कार्यालय परिसर से अवकाश के दिन (शनिवार, रविवार या कोई अन्य) ई-अपशिष्ट मदों को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

झ. बोली प्रस्तुत करने के बाद अपने प्रस्ताव को रद्द करने, वापस लेने या निरस्त करने वाली फर्मों की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ञ. इस मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

ट. बोलीदाता के लिए फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सहित अपना पूरा नाम / पिता का नाम, डाक का पूरा पता, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ठ. विवाद, यदि कोई हो, केवल दिल्ली के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

ड. यदि उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म बोली का भुगतान करने में विफल रहती है तो संविदा रद्द कर दी जाएगी और उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में, अगले उच्चतम बोली लगाने वाले पात्र टेंडरदाता (एच-2 बोली लगाने वाला पक्षकार) को बोली पूरी

करने का अवसर दिया जाएगा बशर्ते कि वह एच-1 पक्षकार द्वारा दी गई कीमतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। किसी भी विवाद के मामले में, मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

ढ. कोई भी असत्य या गलत जानकारी प्रस्तुत करने और उसके परिणाम या हानि के लिए अकेले टेंडरदाता फर्म जिम्मेदार होगी।

भवदीय,
ह./-
(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 011-23034899, 23034755
ईमेल: mukesh.kumar.mopa@nic.in

प्रतिलिपि:-

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. एनआईसी को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
3. सीपीपीपी पोर्टल।

अनुलग्नक

ई-अपशिष्ट के निपटान हेतु दरें प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

बयाना राशि: रू.1000/- (एक हजार रूपये केवल)

डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण:
संख्या:
दिनांक:
बैंक शाखा:

बोलीदाता का नाम:
पता:
टेलीफोन/मोबाइल नंबर:
पैन (प्रतिलिपि संलग्न):
जीएसटी नंबर (प्रतिलिपि संलग्न):
ई-अपशिष्ट रिसाइकलर प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि संलग्न):
*(पता प्रमाण (राशन कार्ड, पंजीकरण प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति) सहित पूरा होना चाहिए।) बोलीदाता दिए गए पते पर पत्रादि प्राप्त करने के लिए सदैव उपलब्ध होना चाहिए।

2. मैंने/हमने प्रस्ताव के नियमों और शर्तों को, विशेष रूप से बयाना राशि के संबंध में, ध्यान से पढ़ लिया है और मैं/हम इनका अक्षरश: पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं। प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

3. मैं/हम दिनांक 3.4.2023 के टेंडर नोटिस संख्या 7/61/2017-ले.क्र. में यथा उल्लिखित सभी या किसी भी नियम और शर्तों का, जो मुझे/हमें एक सफल बोलीदाता घोषित किए जाने पर मेरे/हमारे और संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एक संविदा में परिवर्तित होंगी, पूर्ण या आंशिक रूप से पालन करने में विफल रहता हूं/हैं तो मैं/हम बयाना राशि को जब्त कर लिए जाने के लिए सहमत हूं/हैं।

4. मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/हैं कि ई-अपशिष्ट का उपयोग केवल वास्तविक/वैध प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

नाम............................
हस्ताक्षर........................
स्थान............................
तारीख..............................
कंपनी की मोहर.....................

<u>पुराने और अनुपयोज्य “ई-अपशिष्ट” की सूची</u>

क्र.सं.	**पुराना और अनुपयोज्य सामान**	**मात्रा**	**न्यूनतम मूल्य (प्रति नग)**	**न्यूनतम आरक्षित मूल्य**
1	फोटोकॉपी मशीन	1	रू.2000.00	रू.2000.00
2	सी.पी.यू.	10	रू.1000.00	रू.10000.00
3	मॉनीटर	7	रू.500.00	रू.3500.00
4	यू.पी.एस.	2	रू.400.00	रू.800.00
5	प्रिंटर	1	रू.400.00	रू.400.00
6	फैक्स मशीन	1	रू.200.00	रू.200.00
7	होटकेस	2	रू.200.00	रू.400.00
8	मेज	1	रू.300.00	रू.300.00
9	टेलीविजन सीआरटी	4	रू.200.00	रू.800.00
10	टेलीविजन एलईडी	1	रू.1000.00	रू.1000.00
11	DL-1VB-5711 डाक वितरित करने वाला तिपहिया स्कूटर (छत सहित पूरी बॉडी लोहे की है)	1 (सीएनजी फिटिड और 15 साल से ज्यादा पुराना)	रू.7500.00	रू.7500.00
12	DL-1VB-4070 डाक वितरित करने वाला तिपहिया स्कूटर (छत सहित पूरी बॉडी लोहे की है)	1 (सीएनजी फिटिड और 15 साल से ज्यादा पुराना)	रू.8200.00	रू.8200.00
13	कुल			रू.35,100/- + जीएसटी @18%

कुल आरक्षित मूल्य रु.41,418/- (जीएसटी सहित)